संख्या-1223/2025/2004/22-2-2023-17(519)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2025

विषय:- जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी डम्पिल वर्मा उर्फ ऊषा पत्नी स्व0 गुरूबक्स किसान, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी डम्पिल वर्मा उर्फ ऊषा पत्नी गुरूबक्स किसान, ग्राम-खिम्मापुरवा, थाना-अरवल, जनपद-हरदोई का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा पारिवारिक कलह एवं नाजायज सम्बन्ध के कारण दिनांक 15.08.2015 को अपने पति गुरूबक्स किसान की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 472/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06, हरदोई के आदेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.05.2022 तक अपरिहार 02 वर्ष, 08 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि महिला बन्दी की 31 वर्ष की आयु, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 16.05.2022 तक अपरिहार 02 वर्ष, 08 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी डम्पिल वर्मा उर्फ ऊषा (बन्दी संख्या-55/22) पत्नी स्व0 गुरूबक्स किसान, निवासी जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1223/2025/2004(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।